

सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड आदि

बनाम

भुवनेश्वर सिंह और अन्य

23 अगस्त, 1984

[पी. एन. भगवती, अमरेंद्र नाथ सेन और रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्तिगण]

कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1971—धारा 21(2)—क्या 30 अप्रैल, 1972 को उपलब्ध कोकिंग कोल के भंडार का मूल्य, धारा 21(2) के अंतर्गत मालिक को देय राशि निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए —अभिनिर्धारित: हाँ।

उत्तरदाता संख्या 1, जो एक साझेदारी व्यवसाय-प्रतिष्ठान थी, के स्वामित्व वाली एक कोयला खदान का प्रबंधन कोकिंग कोल खदान्स (आपातकालीन उपबंध) अध्यादेश, 1971 के अंतर्गत 17 अक्टूबर, 1971 से केंद्र सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया था, जिसे बाद में एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कोकिंग कोल खदान्स (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1971 (संक्षेप में 'राष्ट्रीयकरण अधिनियम') के पारित होने पर, खदान के स्वामी के अधिकार, स्वत्व और हित समाप्त हो गए और 1 मई, 1972 से वे केंद्र सरकार में निहित हो गए। राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 21(2) यह प्रावधान करती है कि उपधारा (1) में उल्लिखित राशि के अतिरिक्त, केंद्र सरकार को कोकिंग कोल खदान के स्वामी को वह राशि भी अदा करनी होगी, ----- जो उस अवधि के संबंध में देय हो, जिसके दौरान कोकिंग कोल खदान का प्रबंधन----- केंद्र सरकार में निहित रहा। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका में, स्वामी द्वारा यह दावा किया गया कि जब वह अवधि, जिसके दौरान खदान संरक्षक के प्रबंधन में थी, के संबंध में उसे देय या उससे वसूल की जाने वाली राशि का निर्धारण किया जाए, तो 30 अप्रैल, 1972 को उपलब्ध कोकिंग कोल के भंडार का मूल्य, जैसा कि लेखा-पुस्तकों में दर्शाया गया है, उसके पक्ष में समायोजित किया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने स्वामी के इस दावे को स्वीकार कर लिया। इसके विरुद्ध अपीलार्थियों

(सरकारी कंपनियों) ने उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील करने हेतु विशेष अनुमति प्राप्त की।

अपीलों को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित: स्थिति को संतुलित करने के लिए कोयले के भंडार को ध्यान में रखना आवश्यक था। {624 एच}

राष्ट्रीयकरण अधिनियम में यह परिकल्पना की गई थी कि 17 अक्टूबर, 1971 से 30 अप्रैल, 1972 की अवधि के लिए लेखा-पुस्तकें बंद की जाएँ और 30 अप्रैल, 1972 की स्थिति में लेखा-विवरण तैयार किया जाए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उस प्रासंगिक अवधि में स्वामी की ओर से प्रबंधन कर रही सरकारी कंपनी को स्वामी को कोई राशि देय है, अथवा क्या स्वामी की ओर से व्यय किए जाने के कारण सरकारी कंपनी को स्वामी से कोई राशि वसूल करने का अधिकार है। अधिनियम में उस तिथि पर बैलेंस-शीट तैयार किए जाने की भी परिकल्पना की गई थी। अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए कोकिंग कोल खदान्स नियम, 1972 में किसी विशेष निर्धारित विधि के अभाव में, लेखे और बैलेंस-शीट सामान्य वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार तैयार किए जाने थे, जिसमें स्वाभाविक रूप से व्यवसायिक भंडार को दर्शाया जाना आवश्यक था। [624 डी-ई]

आयकर अधिनियम के तहत लाभ का पता कर देयता की गणना के उद्देश्यों के लिए लगाया जाना चाहिए। वास्तविक लाभ की गणना के लिए व्यापार में भंडार के मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। [624 डी]

आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम ए. कृष्णस्वामी मुदलियार और अन्य। 53 आई. टी. आर. 130 पर 122, संदर्भित।

तत्काल मामले में, अपीलकर्ताओं ने इस स्थिति को स्वीकार किया कि यदि निकाला गया कोयला को नियत दिन से पहले बेच दिया गया था, तो मालिक को कीमत चुकानी पड़ती। केवल यह तथ्य कि निकाला गया कोयला निर्धारित तिथि की शुरुआत में भंडार में

रह गया था, स्थिति पर कोई फर्क नहीं डाल सकता है। [624 एफ-जी]

निर्धारित वैधानिक प्रपत्र में कथन 8 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि 30 अप्रैल, 1972 को भंडार को राशि में लिया जाना था।

दीवानी अपील क्षेत्राधिकार 1984 की दीवानी अपील सं.

3374-75

पटना उच्च न्यायालय के 1982 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 1072(आर) में दिनांक 14 अप्रैल, 1983 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील।

सी. ए. 3374/84 में अपीलार्थी के लिए एल. एन. सिन्हा, ए. सचथी और आर. एन. सचथी।

सी. ए. 3375/84 में अपीलार्थी की ओर से एल. एन. सिन्हा, एस. सी. मलिक और एम. एल. वर्मा।

सी.ए.3374/84 में उत्तरदाता के लिए डी. गोबर्धन।

सीए संख्या 3375/84 में उत्तरदाताओं के लिए शांति भूषण, डी.एन. गोबरधन और डी. गोबरधन।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति विशेष अनुमति स्वीकृत।

उत्तरदाता सं. 1, एक साझेदारी व्यवसाय-प्रतिष्ठान, बिहार राज्य के प्रबंधन के भीतर एक कोकिंग कोयला खदान थी जिसे तरिया कोलियरी के नाम से जाना जाता था जिसका प्रबंधन 17 अक्टूबर, 1971 से कोकिंग कोल माइंस (आपातकालीन प्रावधान) अध्यादेश 1971 के तहत अपने हाथ में ले लिया गया था, साथ ही कई अन्य कोकिंग कोल माइंस और कुछ कोक ओवन प्लांट्स का भी प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया गया था। समय के साथ अध्यादेश को उसी शीर्षक वाले एक कानून द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया (जिसे आगे 'प्रबंधन अधिनियम' कहा गया है)। इसके बाद कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम,

1971 (संक्षेप में 'राष्ट्रीयकरण अधिनियम') आया, जिसे 17 अगस्त, 1982 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, लेकिन इसकी धारा 1, उपधारा (2) के तहत, कानून को 1 मई, 1972 से प्रभावी माना गया। राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (a) के अंतर्गत 1 मई, 1972 को *नियत तिथि* घोषित किया गया था। अध्यादेश तथा उसके पश्चात् बने प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत खदानों के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, बल्कि केवल उनका प्रबंधन अपने हाथ में लिया गया था। राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत, 1 मई, 1972 से खदानों में स्वामी के अधिकार, स्वत्व और हित समाप्त हो गए और वे केंद्र सरकार में निहित हो गए। प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत, संरक्षक स्वामी की ओर से प्रबंधन करता रहा, जबकि राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत स्वामित्व समाप्त कर दिया गया और स्वामी को मुआवज़ा के रूप में राशि के भुगतान की परिकल्पना की गई। जहाँ तक 17 अक्टूबर, 1971 से 30 अप्रैल, 1972 की अवधि का संबंध है जब खदान का स्वामित्व स्वामी में निहित बना रहा और केवल प्रथम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंधन ही अपने हाथ में लिया गया था उस अवधि में संरक्षक द्वारा स्वामी के खाते पर व्यवसाय संचालित किया गया। इसलिए राष्ट्रीयकरण अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि लेखा लिए जाने पर, या तो स्वामी को अधिशेष राशि का भुगतान किया जाएगा अथवा यदि व्यय अधिक हुआ हो, तो वह राशि स्वामी से वसूल की जाएगी।

वर्तमान मामले में, जब 17 अक्टूबर, 1971 को प्रबंधन अपने हाथ में लिया गया, उस समय 5,650 टन कोकिंग कोल तथा 602 टन सॉफ्ट कोक का भंडार मौजूद था। इसके बाद 30 अप्रैल, 1972, जिस तिथि को स्वामित्व समाप्त हुआ, उस समय 30,411 टन कोकिंग कोल तथा 956 टन सॉफ्ट कोक का भंडार उपलब्ध था। प्रबंधन की अवधि के दौरान उक्त कोयले की मात्रा के उत्खनन हेतु लगभग आठ लाख रुपये का कुल व्यय किया गया था। इस भंडार को लेखा में सम्मिलित नहीं किया गया और न ही उसके लिए स्वामी को कोई क्रेडिट दिया गया, बल्कि रु.7,95,071.94 की उत्खनन लागत स्वामी के विरुद्ध दर्शा दी गई। स्वामी

ने राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत रु.1,01,755.37 की राशि पर अपना अधिकार दावा किया, यह कहते हुए कि यदि समापन शेष के आधार पर व्यवसायिक भंडार के लिए उसे क्रेडिट दिया जाता, तो वह उक्त राशि का अधिकारी होता।

राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए स्वामी के विरुद्ध दावा किए जाने पर, उस राशि को वसूल योग्य प्रमाणित कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1, जो स्वामी था, ने उक्त वैधानिक प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अन्य के साथ-साथ सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड तथा एम/एस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, दोनों सरकारी कंपनियों, को भी प्रतिवादी बनाया गया। उच्च न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि समापन शेष तैयार किए जाने के समय भंडार में उपलब्ध कोयले के मूल्य के लिए स्वामी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए था और तदनुसार खातों को पुनः तैयार करने तथा पुनर्गणित खातों के आधार पर भुगतान किए जाने का निर्देश दिया। इसके विरुद्ध सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के खिलाफ अपील करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु, संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत पृथक-पृथक रूप से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

हमने पक्षों को विस्तार से सुना है और दोनों अपीलार्थियों की ओर से श्री लाल नारायण सिन्हा द्वारा विस्तृत लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। श्री सिन्हा के तर्क का मुख्य सार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दो कानूनों में निहित 'खदान' की परिभाषा है। निस्संदेह, दोनों अधिनियमों की धारा 2 में निहित 'खदान' की परिभाषा में भंडार में उपलब्ध समस्त कोयला स्पष्ट रूप से सम्मिलित है, किंतु यह समावेशी परिभाषा स्पष्टतः केवल प्रबंधन के अधिग्रहण अथवा राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन से अधिकार, स्वत्व और हित के उन्मूलन के संदर्भ में है। उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से उपस्थित श्री शांति भूषण इस स्थिति से विवाद नहीं करते कि जिस समय स्वामित्व समाप्त हुआ और निहितीकरण हुआ, उस समय कोयले

का भंडार खदान का ही भाग था और राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप उस भंडार पर स्वामित्व भी समाप्त होकर नियत तिथि से केंद्र सरकार में निहित हो गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाने में उच्च न्यायालय से त्रुटि हुई थी।

हालांकि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप नियत दिन की शुरुआत में व्यापार में भंडार केंद्रीय सरकार में निहित था, लेकिन जांच के लिए सवाल यह है कि क्या उस भंडार को उस अवधि के संबंध में मालिक को देय राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना चाहिए था जब खदान संरक्षक के प्रबंधन में थी। इसके लिए राष्ट्रीयकरण अधिनियम के कुछ प्रावधानों का संदर्भ देना आवश्यक है और प्रासंगिक प्रावधान धारा 4, 10, 21 और 22 हैं। धारा 4(1) के अंतर्गत नियत तिथि को प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोकिंग कोल खदानों के संबंध में स्वामी के अधिकार, स्वत्व और हित सभी प्रकार के भारों से मुक्त होकर केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो गए और उसमें पूर्णतः निहित हो गए। धारा 10 में यह परिकल्पना की गई है कि प्रथम अनुसूची के दूसरे स्तंभ में उल्लिखित प्रत्येक कोकिंग कोल खदान के स्वामी को, धारा 4 के अंतर्गत उसमें निहितीकरण के प्रतिफलस्वरूप, केंद्र सरकार द्वारा नकद में तथा धारा 21 में निर्दिष्ट रीति से, उतनी राशि दी जाएगी जितनी उक्त अनुसूची के पाँचवें स्तंभ में संबंधित प्रविष्टि के समक्ष विनिर्दिष्ट है। धारा 10 में जिस धारा 21 का उल्लेख किया गया है, वह भुगतान से संबंधित प्रावधान करती है। इस धारा की प्रथम दो उपधाराएँ इस प्रकार हैं—

"21. (1) केंद्र सरकार निर्दिष्ट तिथि से तीस दिनों के भीतर, किसी कोकिंग कोल खदान के स्वामी को भुगतान किए जाने हेतु आयुक्त को नकद में वह राशि अदा करेगी....., जो प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में संबंधित कोकिंग कोल खदान के समक्ष विनिर्दिष्ट है....., साथ ही धारा 12 में उल्लिखित राशि और ब्याज (यदि कोई हो) भी।

21. (2) उपधारा (1) में उल्लिखित राशि के अतिरिक्त, केंद्र सरकार नकद में

आयुक्त (कमिश्नर) को वह राशि अदा करेगी, जो किसी कोकिंग कोल खदान के स्वामी को उस अवधि के संबंध में देय हो जाए, जिस अवधि के दौरान कोकिंग कोल खदान का प्रबंधन.... केंद्र सरकार में निहित रहा।”

वर्तमान विवाद धारा 21 की उपधारा (2) के दायरे में आता है। धारा 22 उस अवधि के संबंध में, जब खदान का प्रबंधन किया गया था, लेखा-विवरण (स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट) तैयार करने की प्रक्रिया का प्रावधान करती है। उपधारा (1), जहाँ तक प्रासंगिक है, इस प्रकार है—

"22. (1) केंद्र सरकार या, यथास्थिति, सरकारी कंपनी (जो इस मामले में हमारे समक्ष अपीलकर्ता हैं), प्रत्येक कोकिंग कोल खदान के संबंध में... जिसका प्रबंधन कोकिंग कोल माइन्स (आपातकालीन उपबंध) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत उसमें निहित रहा—30 अप्रैल, 1972 को लेखा-पुस्तकों को बंद एवं संतुलित करवाएगी तथा उस तिथि की स्थिति में, निर्धारित समय, रूप और विधि के अनुसार, प्रत्येक ऐसी खदान के संबंध में लेखा-विवरण तैयार करवाएगी...., जो उस अवधि के दौरान, जिसके लिए ऐसी कोकिंग कोल खदान का प्रबंधन उसमें निहित रहा, उसके द्वारा किए गए लेन-देन के संबंध में होगा।

(हमारा रेखांकित करना)

राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (c) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने कोकिंग कोल माइन्स (स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट) नियम, 1972 नामक नियमावली बनाई है। ये नियम उस प्रारूप को निर्धारित करते हैं, जिसमें लेखे तैयार किए जाने हैं, और हम शीघ्र ही उस प्रारूप का संदर्भ देंगे।

कोकिंग कोयला कंपनियों के राष्ट्रीयकरण का एक नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया था और राष्ट्रीयकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रबंधन को पहली बार प्रबंधन अध्यादेश के तहत लिया गया था, जिसके बाद 17 अक्टूबर, 1971 से कानून लागू

हुआ। यह स्थिति राष्ट्रीयकरण अधिनियम के 1 मई, 1972 से प्रवर्तन में आने तक बनी रही। राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत स्वामी को दो प्रकार के भुगतान करने का प्रावधान किया गया था एक धारा 10 के तहत वह राशि, जो स्वामित्व के उन्मूलन के लिए देय थी दूसरी धारा 21(2) के अंतर्गत उस अवधि के संबंध में देय राशि, जब प्रबंधन केंद्र सरकार के हाथ में था, जो निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए लेखा-पुस्तकों के आधार पर निर्धारित की जाती। प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत स्वामित्व के सामान्य अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी का प्रावधान नहीं था, केवल प्रबंधन का अधिकार ही केंद्र सरकार ने ग्रहण किया था। अतः, यह उचित था कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम में लेखा-पुस्तकें बंद करने और 30 अप्रैल, 1972 की स्थिति में लेखा-विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया, ताकि प्रबंधन की अवधि के लिए अंतिम स्थिति निर्धारित की जा सके—यदि अधिशेष निधि हो तो स्वामी को भुगतान किया जाए और यदि व्यय अधिक हुआ हो तो उससे वसूली की जाए।

हम श्री शांति भूषण के तर्क में बल पाते हैं कि 17 अक्टूबर, 1971 से 30 अप्रैल, 1972 की अवधि के लिए लेखा-व्यवस्था, चूंकि कानून या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कोई विशेष विधि निर्धारित नहीं थी, सामान्य वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार की जानी थी। चूंकि अधिनियम में लेखा-पुस्तकों को बंद और संतुलित करने का प्रावधान था, इसलिए सामान्य वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार बैलेंस-शीट तैयार करना आवश्यक था। इस संबंध में, इस न्यायालय की *आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम ए. कृष्णा स्वामी मुदलियार और अन्य*,¹ मामले में की गई टिप्पणियाँ उल्लेखनीय हैं। (उस समय) न्यायमूर्ति शाह ने न्यायालय की ओर से इस प्रकार कहा :

“लेकिन किसी भी व्यापारिक उद्यम के मामले में, चाहे लेखा-व्यवस्था की कोई भी विधि अपनाई जाए, सच्चे वार्षिक मुनाफे की गणना के लिए व्यापार का कुल माल को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। यदि व्यापार का कुल माल के मूल्य को ध्यान में

1 53 आई.टी.आर. 122, 130 पर।

नहीं रखा गया, तो अंततः व्यापार से होने वाला लाभ या हानि व्यापार का कुल माल में समाहित या परिलक्षित हो जाएगा, जब तक कि व्यापार का कुल माल का मूल्य वर्ष की शुरुआत और वर्ष के अंत में अपरिवर्तित न रहे।”

आय-कर अधिनियम के तहत कर देयता की गणना के उद्देश्य से लाभ का पता लगाना होता है। राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत लेखा-पुस्तकों को संतुलित करना आवश्यक था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उस प्रासंगिक अवधि में स्वामी की ओर से प्रबंधन कर रही सरकारी कंपनी को स्वामी को कोई राशि देय है या उस कंपनी, जिसने स्वामी के लिए व्यय किया, को स्वामी से कोई राशि वसूल करने का अधिकार है। अतः हम श्री शांति भूषण की यह दलील स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम में वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार बैलेंस-शीट तैयार करने का प्रावधान था, जिसमें व्यापार का कुल माल का समावेश अनिवार्य रूप से होना चाहिए था।

स्वीकार किया गया है कि स्वामी से वसूली के लिए दावा की गई राशि खदान से कोयले के उत्खनन की लागत का प्रतिनिधित्व करती है। अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में स्वीकार किया था और श्री सिन्हा, जो हमारे समक्ष उनके पक्ष में प्रस्तुत हुए, ने यह स्वीकार किया कि यदि उत्खनित कोयला नियत तिथि से पहले बेचा गया होता, तो स्वामी को उसकी कीमत का अधिकार होता। केवल यह तथ्य कि उत्खनित कोयला नियत तिथि की शुरुआत में भंडार में रहा, स्थिति को बदल नहीं सकता। व्यय को भंडार की बिक्री मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाना था। अतः कोयले के भंडार को स्थिति का संतुलन करते समय ध्यान में रखना आवश्यक था। राष्ट्रीयकरण अधिनियम की ‘खदान’ की परिभाषा और धारा 10 का इस निष्कर्ष के विरुद्ध उल्लेख अपीलकर्ताओं के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। वास्तव में, अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत यह दलील सामान्य तर्क के विरोधाभासी है और बिना किसी विधान द्वारा स्पष्ट निर्देश के, हम इसे अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करते।

बहुत से विवादों से बचा जा सकता था यदि वैधानिक प्रारूप का संदर्भ लिया गया

होता। निर्धारित प्रारूप में कथन 8 स्पष्ट रूप से यह संकेत देता है कि 30 अप्रैल, 1972 की स्थिति में भंडार को ध्यान में रखना आवश्यक था। हमें खेद है कि उच्च न्यायालय ने इसका संदर्भ नहीं लिया, और हमें यह भी खेद है कि सरकारी कंपनियों ने अपने ऊपर कानून द्वारा लगाए गए दायित्व का पालन नहीं किया और स्वामी को अनावश्यक विवादों में उलझा दिया।

जैसा कि हमने कहा, अपीलकर्ताओं द्वारा हमारे समक्ष अपनाया गया दृष्टिकोण पूरी तरह निराधार है। अतः दोनों अपील असफल होती हैं और उन्हें खर्च सहित खारिज किया जाता है। एकीकृत सुनवाई शुल्क रु. 10,000 आंका गया है।

अपील खारिज कर दी गई।

एचएसके

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।